न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार , आर.जे.एस.
जिला न्यायाधीश संवर्ग

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या : 118/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 90/2024, आरक्षी केन्द्र सिवाना,
CNR : RJBA010005012026

आदेश पुत्र लक्ष्मणराम, उम्र 23 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 12, कांकड़ा, पुलिस थाना जसरासर, जिला बीकानेर ।

– प्रार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान राज्य।

– अप्रार्थी

जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 90/2024, पुलिस थाना सिवाना, अपराध अंतर्गत धारा 143, 341, 323, 307, 436, 427, 120(बी) भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित :–

1. श्री ललित जांगिड, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।
2. विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

–– आदेश ––

दिनांक : 02.04.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । नकल लोक अभियोजक को दिलवायी जाकर अनुसंधान पत्रावली तलब की गयी । अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया और बहस जमानत सुनी ।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रकरण सुमेरनाथ के पर्चा बयान पर संस्थित हुआ है । पर्चा बयान में प्रार्थी नामजद नहीं है । सहअभियुक्तगण विरेन्द्रसिंह व दिलीपसिंह के जमानत आवेदन माननीय न्यायालय द्वारा तथा महीपालसिंह का जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, प्रार्थी का मामला उनसे भिन्न व गंभीर

प्रकृति का नहीं है । प्रार्थी विद्यार्थी है तथा दिनांक 12.03.2026 से अभिरक्षा में है । पूर्व का कोई प्रकरण दर्ज या लंबित नहीं है । प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

3. विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी के विरुद्ध अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर सुमेरनाथ के साथ गंभीर मारपीट करने एवं अग्नि द्वारा रिष्टि कारित करने के अपराध का आरोप है । प्रार्थी के विरुद्ध गंभीर अपराध का आरोप है । अतः जमानत आवेदन अस्वीकार करने का निवेदन किया ।

4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत SB.Cri.Misc. Bail Application No. 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त आदेश का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया हैः–

क्र. सं.	मुकदमा नं.	पुलिस थाना	धारा	नतीजा	वर्तमान स्थिति
-	-	-	-	-	-

5. उभय पक्षकारान की ओर से दिये गये तर्कों को सुना एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया । केस डायरी के अवलोकन से मामला सुमेरनाथ के पर्चा बयान पर संस्थित हुआ है जिसमें परिवादी/सुमेरनाथ ने दिलीपसिंह, महिपालसिंह, विरेन्द्रसिंह व उनके साथ दो–तीन अन्य व्यक्तियों का होना, जिनके द्वारा मारपीट करने एवं पेट्रोल छिड़ककर बोलेरो कैंपर को जलाना बताया है । पर्चा बयान में प्रार्थी नामजद नहीं है । सहअभियुक्त महीपालसिंह का जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा S.B. Cri.Misc. Bail Application No. 7117/2024 दिनांक 03.07.2024 को तथा विरेन्द्रसिंह व दिलीपसिंह के जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जा चुके हैं, जिनसे प्रार्थी का मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है । प्रार्थी दिनांक 12.03.2026 से अभिरक्षा में है । प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है । इन तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

–:: आदेश ::–

6. अतः प्रार्थी/अभियुक्त आदेश की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उपस्थिति बाबत् एक लाख रुपये का स्वयं का मुचलका एवं पचास–पचास हजार रुपये की दो मौतबीर जमानतें अधिनस्थ न्यायालय के

सन्तोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दी जाए, तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाए ।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

7. आदेश आज दिनांक 02.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

GOVIND SHANKER KIRADOO

Steno Gr. III
"Authenticate document"
Digitally signed by GOVIND SHANKER KIRADOO
Date: 2026.04.07 16:00:59 +0530